न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :**पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 69 सन 2024

अनवान :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

1. कलावती पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कान्तादेवी पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. गीतादेवी पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. देव कृष्ण कुमार पुत्र गगाबिशन जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. रामीदेवी पत्नी प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. लीलाधर पुत्र प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. संतोष पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. सुनीता पुत्री प्रयागचन्द जाति मोची निवासी नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– पेरोकार राज सायल/प्रार्थी
श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 16/05/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के नाम से रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 90 के खसरा न0 66 की 4.085हैक्, 67/1 की 1.834हैक् दोनो खसरों की कुल 5.919हैक् भूमि बतौर सहखातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

पटवारी हल्का सोनडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा चक राजासर के खसरा न0 66 ,67/1 पर अवैध मकानात/प्लाट /दुकानें आदि का बेचान कर उक्त भूमि का अकृषि रूप में उपयोग किया जा चुका है उक्त सहखातेदारी कृषि भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा नाजायज रूप से प्लाट बेचान संचालन किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है।

अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 99 के खसरा न0 66 की 4.085हैक् व खसरा न0 67/1 की 1.834हैक् कुल 5.919हैक् जो सहखातेदारी में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में किसी प्रकार का निर्माण/बेचान/रहन/किस्म परिवर्तन आदि का संचालन नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी/सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में [illegible] करते हुए जबाब पेश किया की

हम उतरादाता के द्वारा अपनी खातेदा[illegible] किसी कदर कोई प्लाट दुकाने आदि का बेचान नही किया गया है [illegible] गये वा अवैध व शुन्य है क्योकि खातेदारी भूमि में सरपंच [illegible]र ही नही हे पंचाय[illegible] में पटटो को कोई रिकार्ड ही नही बेचानके झुठे दस्तावेज बना[illegible] वालों के विरूद्व एफ[illegible] दर्ज कराई जा चुकी है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्व तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रयागचन्द पुत्र अनुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के पश्चात उसके वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई नामान्तकरण दिनांक 05.12.2023 को खारीज कर न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत हुआ जो वाद सुनवाई डिक्री किया गया जिसका नामान्तकरण प्रार्थी के द्वारा उतरदाता के नाम दर्ज किया गया था पटवारी हल्का की रिपोर्ट में प्लाट /दुकान का बेचान हो रहा है अंकित किया है जबकि पटवारी की रिपोर्ट जो दिनांक 23.04.2023 का बनायी गयी है में किसी भी प्रकार से प्लाट दुकान इत्यादि नही बतलाया गया है दोनो रिपोर्ट अलग अलग है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व दावा व दरख्वास्त गलत रूप से पेश की गई है प्रार्थी के द्वारा ही हम अप्रार्थीगण उतरादाता के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो न्यायालय हाजा की डिक्री के आधार पर किया गया है यदि प्रार्थी उक्त डिक्री से प्रभावित होता है तो सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर सकता है वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील विचाराधीन है जिसमें रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी है उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी स्थगन आदेश निरस्त फरमाया जावे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की और से पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के नाम से रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 90 के खसरा न0 66 की 4.085हैक , 67/1 की 1.834हैक दोनो खसरों की कुल 5.919हैक भूमि बतौर सहखातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

पटवारी हल्का सोनडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा चक राजासर के खसरा न0 66 ,67/1 पर अवैध मकानात/प्लाट /दुकानें आदि का बेचान कर उक्त भूमि का अकृषि रूप में उपयोग किया जा चुका है उक्त सहखातेदारी कृषि भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा नाजायज रूप से प्लाट बेचान संचालन किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की हम उतरादाता के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में किसी कदर कोई प्लाट दुकाने आदि का बेचान नही किया गया है पत्रावली में जो पटटे प्रस्तुत किये गये वा अवैध व शुन्य है क्योकि खातेदारी भूमि में सरपंच को पटटा का अधिकार ही नही हे पंचायत घर में पटटो को कोई रिकार्ड ही नही बेचानके झुठे दस्तावेज बनाने वालों के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्व तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है।

वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रयागचन्द पुत्र अनुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के पश्चात उसके वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई नामान्तकरण दिनांक 05.12.2023 को खारीज कर न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत हुआ जो वाद सुनवाई डिक्री किया गया जिसका नामान्तकरण प्रार्थी के द्वारा उतरदाता के नाम दर्ज किया गया था पटवारी हल्का की रिपोर्ट में प्लाट /दुकान का बेचान हो रहा है अंकित किया है जबकि पटवारी की रिपोर्ट जो दिनांक 23.04.2023 का बनायी गयी है में किसी भी प्रकार से प्लाट दुकान इत्यादि नही बतलाया गया है दोनो रिपोर्ट अलग अलग है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व दावा व दरख्वास्त गलत रूप से पेश की गई है प्रार्थी के द्वारा ही हम अप्रार्थीगण उतरादाता के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो न्यायालय हाजा की डिक्री के आधार पर किया गया है यदि प्रार्थी उक्त डिक्री से प्रभावित होता है तो सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर सकता है वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील विचाराधीन है जिसमें रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी है उच्च

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण तथा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदीया, शपथ पत्र का अध्ययन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि जो कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को अकृषि उपयोग में लिया गया है अथवा लिया जा रहा है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**—प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि प्रार्थनापत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है अर्थात अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगणं के पक्ष मे पाया जाता है।

2 **सुविधा का संतुलनः**— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण मुश्तरका खाते में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज में दुकान/प्लाट आदि का बेचान कर अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है जिससे राजस्व नुकसान हो रहा है प्रार्थी ने अपने उक्त कथनों के समर्थन मे ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का बल मिल सके मात्र एक प्रार्थना पत्र में दुकान/प्लाट बेचान करना अंकित किया गया है प्रार्थी का दायित्व था की वह अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बध में पटवारी हल्का से मौका फर्द तैयार करवाई जाती नजरीय नक्शा तेयार किया जाकर व्यक्त किया जाता कि अप्रार्थीगण के द्वारा किस प्रकार से कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिर्वतन/उपयोग किया जा रहा है मात्र कथनों के आधार पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**— प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सम्बध में दिनांक 08.04.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर मुश्तरका खाते की भूमि जो अप्रार्थीगण के नाम से बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

वाद भूमि पूर्व में प्रयागचन्द पुत्र अनुराम के नाम दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर न्यायालय की डिक्री के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया था जिसके कारण अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में बतौर सहखातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए है जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है एवं प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन होना जाहिर किया गया है अर्थात जिस समय प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उस समय माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का स्थगन आदेश प्रभावी था ऐसी सुरत में प्रार्थी को न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश ही नही किया जाना चाहिये था क्योंकि अपर न्यायालय का स्थगन आदेश जारी है तो पुनः स्थगन प्रार्थना पत्र निम्न न्यायालय में पेश किया जाना न्यायोचित नही है ना ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र इस आशय का कोई उल्लेख किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण के द्वारा दुकान /प्लाट का बेचान किया जा रहा है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है जो दस्तावेजात पेश किये गये है वह झुठे है जिनके सम्बध में एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है इस सम्बध में प्रार्थी का दायित्व है कि प्रकरण की गम्भीरता से रिकार्ड एवं मौका का गहनता से जांच करवाई जावे एवं विस्तृत फर्द

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौका एव नजरीय नक्शा तेयार किया जाकर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करे की अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्व नुकसान किया जा रहा है या नही यदि किया जा रहा है तो किस प्रकार से मात्र एक प्रार्थना पत्र पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है इसप्रकार वर्तमान स्थिति में अपुर्णीय क्षति का बिन्दु आंशिक तोर से अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है प्रार्थी पुनः जांच उपरान्त विस्तृत तथ्यो के प्रकाश में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:37 IST
Reason: SelfAttested